<u>समाचार</u>

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना

27 नवम्बर को 05 वार्डो में पहुंचेगी मोबाईल मेडिकल यूनिट

(अभी तक 1700 लोगों की हुई निःशुल्क जांच एवं इलाज)

कोरबा 26 नवम्बर 2020 –छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत श्रमिकों की निःशुल्क जांच एवं उनका मुफ्त इलाज करने के लिए 27 नवम्बर को वार्ड क्र. 27, 31, 34, 55 एवं 61 में मोबाईल मेडिकल यूनिट पहुंचेगी तथा प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच एवं इलाज करेगी। योजना के अंतर्गत अभी तक 35 स्थानों पर शिविर लगाकर 1700 लोगों की निःशुल्क जांच की गई एवं उनका मुफ्त में इलाज किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी बस्ती घर एवं दुवार पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, उनकी जांच एवं विभिन्न बीमारियों का इलाज व दवाईयां उपलब्ध कराने हेतु जनकल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना क्रियान्वित की गई है। योजना के तहत डाक्टर, नर्स तथा अन्य मेडिकल स्टाफ व दवाईयों के साथ मोबाईल मेडिकल यूनिट स्लम क्षेत्रों में पहुंच रही है तथा वहां के निवासियों की निःशुल्क जांच व विभिन्न बीमारियों का इलाज कर रही है। नगर निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विगत 06 नवम्बर से मोबाईल मेडिकल यूनिट निर्धारित

कार्यक्रम के तहत वार्डो एवं बस्तियों में पहुंच रही है, इस कड़ी में अभी तक 35 शिविरों के माध्यम से 1700 व्यक्तियों की निःशुल्क जांच एवं उनकी विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है।

<u>शुक्रवार को इन स्थानों पर पहुंचेगी मेडिकल यूनिट–</u> निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 नवम्बर 2020 शुक्रवार को वार्ड क्र. 27 दुर्गा पण्डाल के पास रामनगर, वार्ड क्र. 31 सामुदायिक भवन हाउसिंग बोर्ड के बगल अटल आवास के समीप, वार्ड क्र. 34 फायर कालोनी मंच के पास लालघाट बालको तथा वार्ड क्र. 55 रक्सीपारा सांस्कृतिक मंच के पास दर्री, वार्ड क्र. 61 सामुदायिक भवन आदर्शनगर में मोबाईल मेडिकल यूनिट पूरे साजो–सामान के साथ पहुंचेगी तथा लोगों की निःशुल्क जांच एवं उनकी बीमारियों का मुफ्त में इलाज करेगी।

<u>योजना के तहत हो रहा श्रमिकों का पंजीयन</u>– मोबाईल मेडिकल यूनिट के साथ श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शिविर में उपस्थित रहते हैं, जो स्लम क्षेत्र में निवासरत लोगों का योजना के तहत पंजीयन कर रहे हैं। जांच एवं इलाज हेतु स्लम क्षेत्र में निवासरत श्रमिक जिनका संगठित एवं असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन है, वे अपना श्रमिक कार्ड साथ में ला रहे हैं। जिनका पंजीयन नहीं है, ऐसे श्रमिक अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं एक फोटोग्राफ्स साथ में लाते हैं तथा उनका पात्रता अनुसार पंजीयन किया जाता है। परिवार में किसी एक सदस्य का पंजीयन होने के बाद परिवार के सभी सदस्य इसका लाभ ले सकेंगे एवं इलाज करा सकेंगे। एक बार पंजीयन होने के बाद दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।